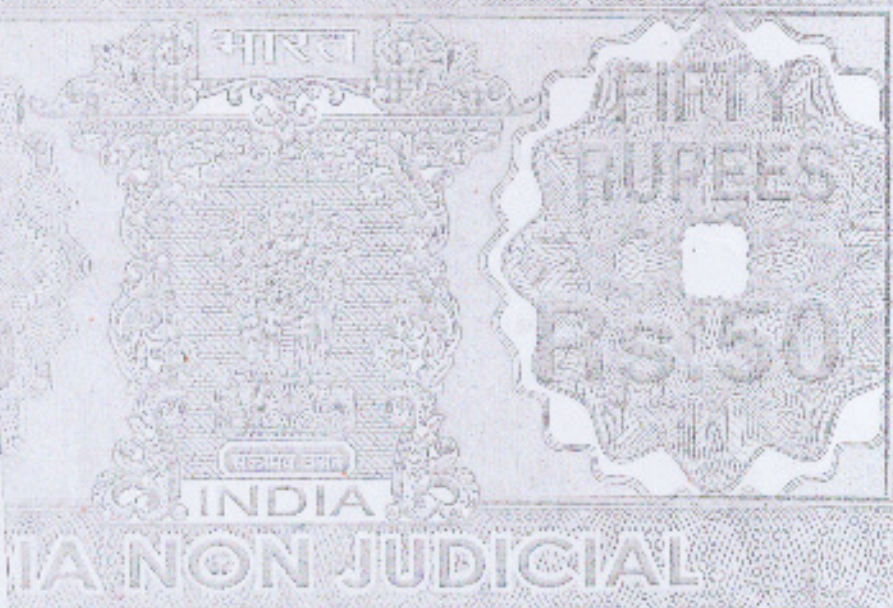


IV-40/2020

9

भारतीय नैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633856

न्यास-पत्रक विलेख

न्यास का नाम- राज मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट

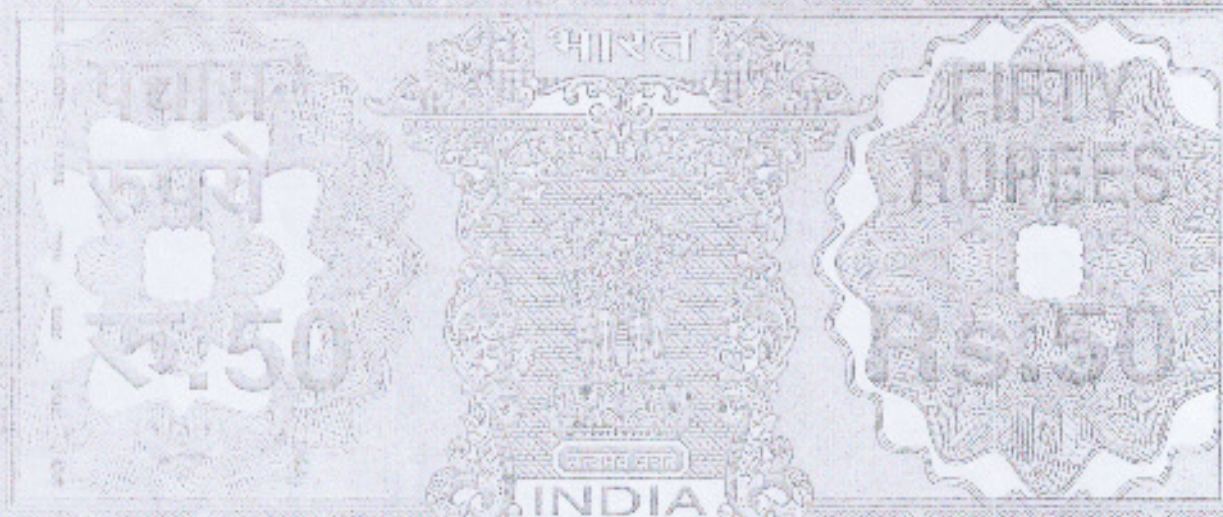
न्यास का प्रधान कार्यालय- 1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर

कार्यक्षेत्र-सम्पूर्ण भारतवर्ष

मूल्यांकन ट्रस्ट डीड-रूपया- 5,000/-मात्र, स्टाम्प व्यय रु0 750 मात्र।

मैं डा0 विजय प्रताप सिंह पुत्र रघु0 राजनाथ सिंह निवासी 1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर (1) तथा किरन सिंह पत्नी डा0 विजय प्रताप सिंह, संख्या (2) इस, ट्रस्ट के क्रमशः अध्यक्ष व सचिव हैं जो सभी सुलतानपुर व वाराणसी में अरसे से रह रहे हैं तथा अपने माता-पिता व पूर्वजन की इच्छानुसार तथा परिवार के हित-बन्धु के इच्छा तथा स्वतः प्रेरणा से मिनमुकिरान एक ट्रस्ट की स्थापना शिक्षा के विकास के क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, ताकि समाज में इस ट्रस्ट द्वारा श्रेष्ठ कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो सके। इस न्यास का नाम मिनमुकिरान राज मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट रखा है जो सर्व सम्मत से कायम किया गया है तथा उक्त ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ताकि समाज में अच्छे वातावरण में शिक्षा जगत में प्रचार-प्रसार सम्बंधी कार्य किया जा सके।

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633857

अतएव हम मिनमुकिरान जो इस ट्रस्ट की कमेटी में क्रमशः अध्यक्ष, सचिव व ट्रस्टी होंगे।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	डा० विजय प्रताप सिंह 9415969099	श्री राजनाथ सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	अध्यक्ष / प्रमुख न्यासी
2	श्रीमती किरन सिंह	डा० विजय प्रताप सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	स्थायी सचिव / ट्रस्टी
3	शशांक शेखर कौशिक	डा० विजय प्रताप सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष / ट्रस्टी
4	शक्ति शेखर	डा० विजय प्रताप सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	ट्रस्टी

इस प्रकार उक्त ट्रस्ट में उपरोक्त चार स्थायी सदस्य होंगे जो आपसी सहमति से कार्य भारतीय संवैधानिक विधिक प्रक्रिया के तहत करेंगे।

Signature



आवेदन सं०: 202000915003942

न्याया पत्र

वही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 40

वर्ष: 2020

प्रतिफल - 5000 स्टाम्प शुल्क - 750 बाजारी मूल्य है पंजीकरण शुल्क - 100 प्रति लिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री ३० विजय प्रताप सिंह अध्यक्ष

पुत्र श्री स्व० राजनाथ सिंह

नवसंख्य : 375

निवासी: 13/9/04, स्टेट बैंक बंगला, पारकीन्सगंज गढ़ मीरतपुर तह० व

जिला सुलतानपुर

मे यह लेखपत्र दफ्तरी कार्यालय में दिनांक 11/06/2020 एवं 12:47:08 PM बजे
निबधन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार सिंह

उप निबंधक सहाय

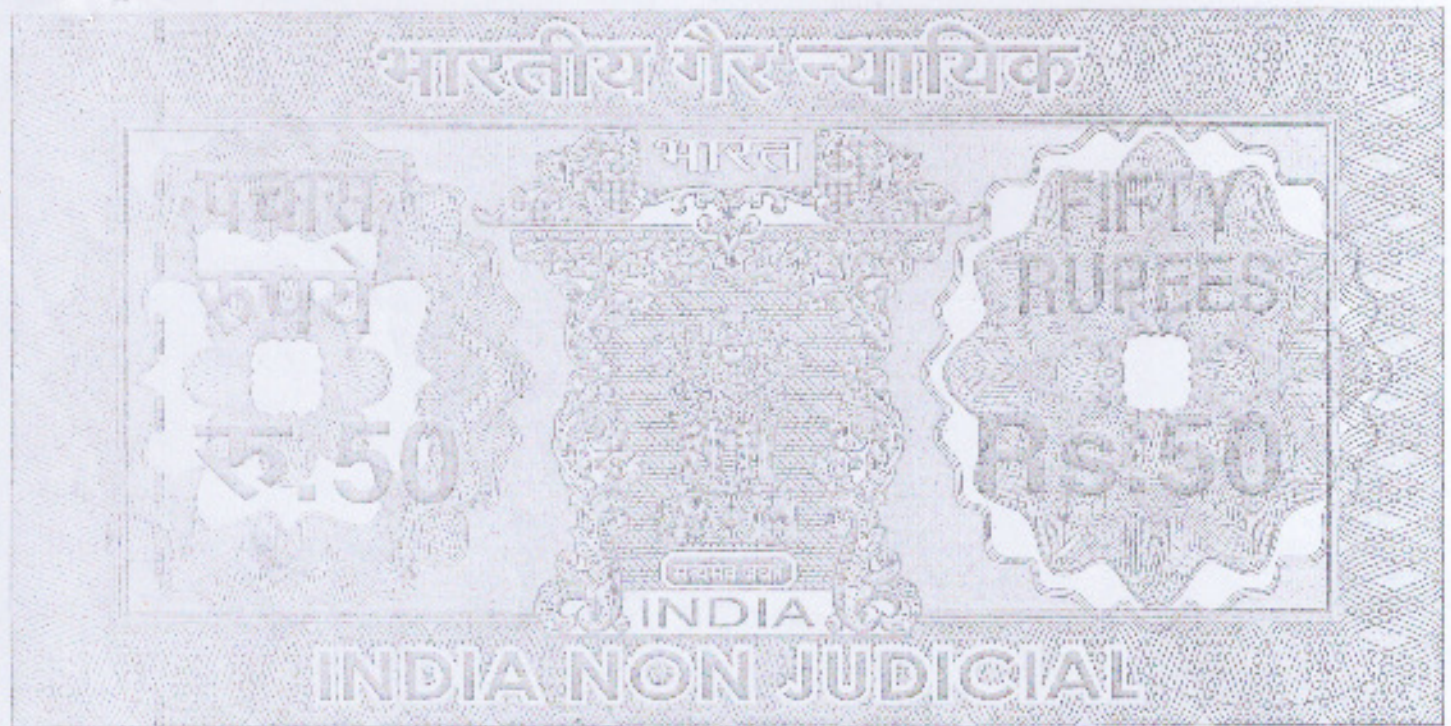
सुलतानपुर

11/06/2020

पुष्प राज श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633858

न्यास का उद्देश्य—

1. मानव-समाज के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, प्राथमिक, अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, भेषजी शिक्षण, पैरामेडिकल एवं उच्च शिक्षा, आधुनिक तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध व शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा व प्रबन्धकीय शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षण-संस्थान, इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व शोध-संस्थान खोलना, उनका प्रबंध करना एवं अनाथ, असहाय, प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना तथा योग्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन सम्पत्ति, भूमि, भवन, वाहन अन्य कीमती पदार्थ तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना, उनके अधिकार अर्जित करना, उनको धारण करना, सुरक्षित रखना, उनका विनिधान करना।
3. ट्रस्ट के सभी उद्देश्य धनार्थ होंगे। ट्रस्ट का उद्देश्य किसी भी दशा में लाभ कमाना नहीं होगा। यानी कि ट्रस्ट "To Work as Non Profit Organization" के अनुसार कार्य करेगा।

मैं, मिनमुकिर संख्या (1)राज मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट का संस्थापक/अध्यक्ष आजीवन रहूंगा जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से इस

Signature



आवेदन सं: 20200915003942

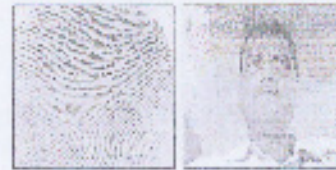
वही सं: 4

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुम व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उचित
न्यासी: 1

श्री डा० विजय प्रताप सिंह, अध्यक्ष, पुत्र श्री स्व०
राजनाथ सिंह

निवासी: 1349111, स्टेट बैंक बली, पारकीन्स गंज
पर० मीरानपुर तह० व जिला सुलतानपुर
व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिसकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री रामदत्त सिंह, पुत्र श्री राजगति सिंह

निवासी: 565 न्यू सक्की मंडी रुदनगर सुलतानपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री विद्या कान्त शुक्ल, पुत्र श्री कान्ता प्रसाद शुक्ल

निवासी: आन व रो० पचरीली मजरे फतेपुर जिला
सुलतानपुर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रार के हस्तक्षर

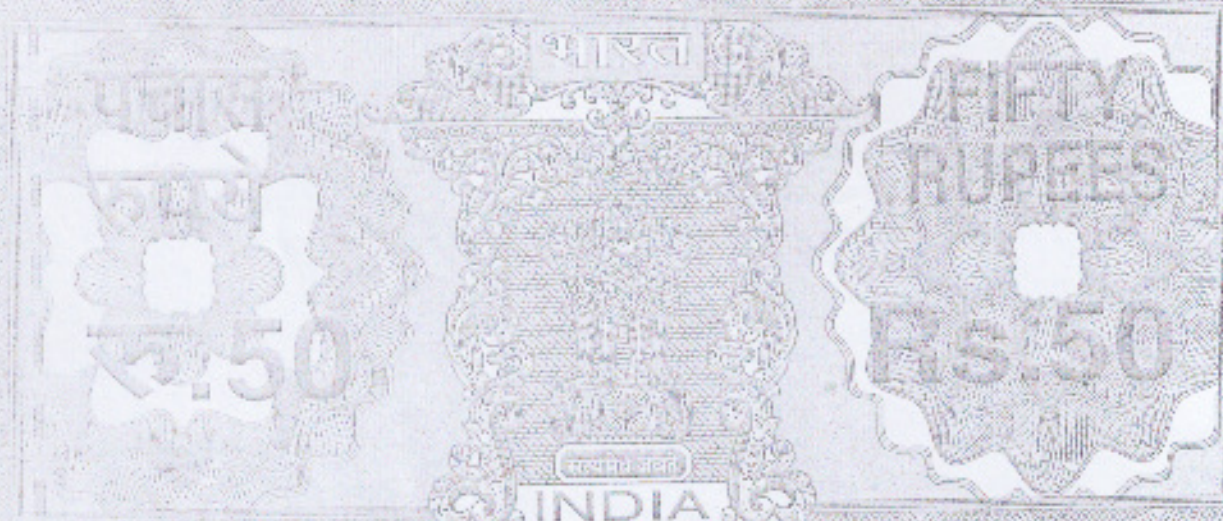
ने की। प्रत्यक्षतः उक्त साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
दिध्यधी:

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक - सदर
सुलतानपुर

पुष्पराज श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक



भारतीय नैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

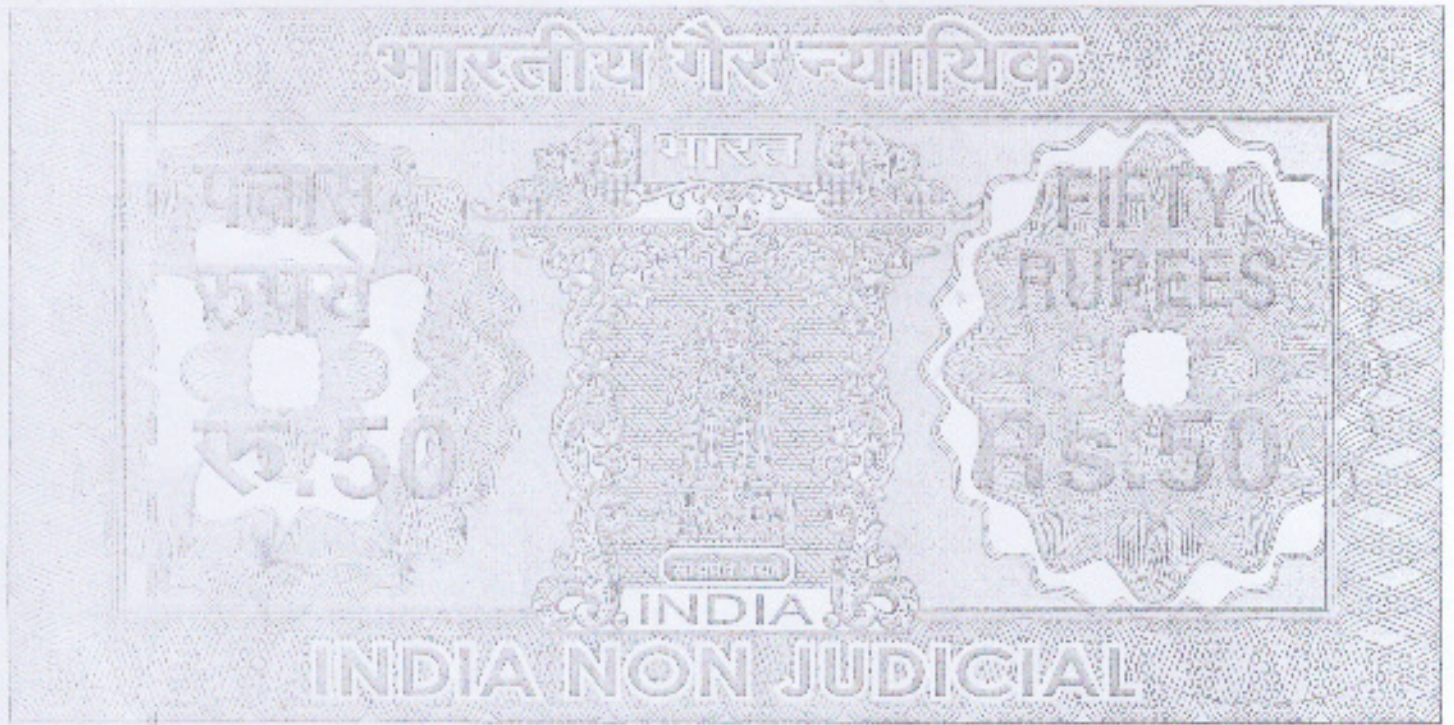
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633859

न्यास के कार्य-निर्वाह में असमर्थ न हो जाऊँ। इस सेवा के कार्य निष्पादन में मुझे सहायता-सहयोग एवं सलाह देने के लिए जो न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें इस न्यास पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थायी न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें इस न्यास पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थायी न्यासी घोषित एवं नियुक्त किया जाता है और यह तब तक स्थायी न्यासी रहेंगे जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से न्यास के कार्य-निर्वाह में असमर्थ न हो जाय या सहयोग देना स्वेच्छा से बन्द न कर दें। स्थायी न्यासी के नाम व पते निम्नलिखित हैं।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	डा० विजय प्रताप सिंह	श्री राजनाथ सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	अध्यक्ष / प्रमुख न्यासी
2	श्रीमती किरन सिंह	डा० विजय प्रताप सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	स्थायी सचिव / ट्रस्टी
3	शशांक शेखर कौशिक	डा० विजय प्रताप सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष / ट्रस्टी
4	शक्ति शेखर	डा० विजय प्रताप सिंह	1349/04, स्टेट बैंक गली, पारकीसगंज, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर	ट्रस्टी

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633860

इस प्रकार से राज मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट में उक्त स्थायी न्यासी होंगे। उपर्युक्त सभी संस्थापक न्यासी होंगे जो आजीवन इस न्यास में स्थायी न्यासी रहेंगे। उपरोक्त स्थायी न्यासियों के अलावा विशेष न्यासियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा तथा उन्हें जब चाहे हटाकर इनके स्थान पर नये विशेष न्यासी शामिल किये जा सकेंगे। ऐसे विशेष न्यासियों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार केवल अध्यक्ष एवं सचिव को ही होगा।

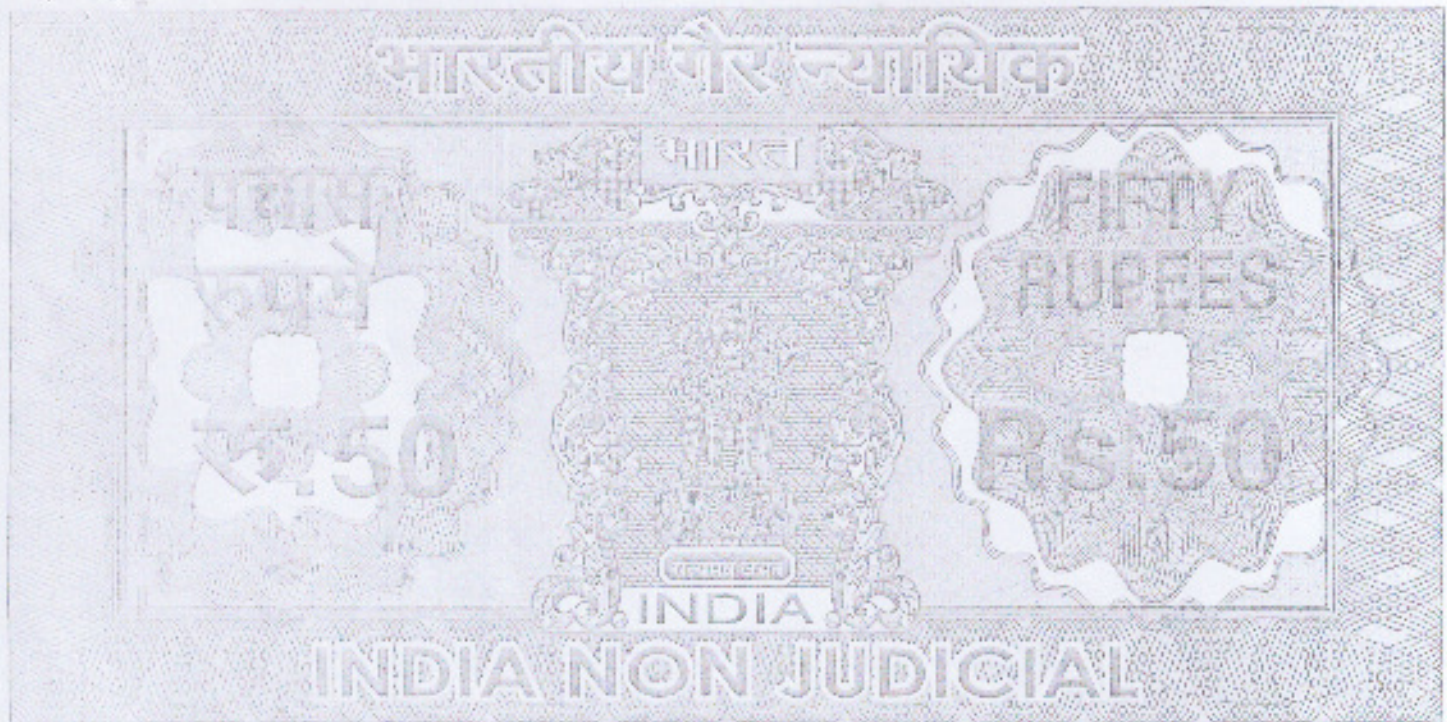
ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम संचालित करने पर विद्यालय प्रबंधसमिति का अनुमोदन एवं कार्यकाल सम्बद्धता प्रदान करने वाले इन्स्टीट्यूशन के परिनियमावली के आधार पर होगा।

मैं मिनमुकिर संख्या-(1) राज मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट को प्रथम संस्थापक/अध्यक्ष तथा मिनमुकिर संख्या (2) सचिव रहेंगे। जो आजीवन अपने उक्त पदों पर बने रहेंगे। अध्यक्ष, सचिव व न्यासीगण के लिए किये गये निर्णयों एवं निर्देशों के तहत न्यास में कार्यो को करेंगे तथा उसकी देख-भाल करेंगे।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति :

इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे। इनमें से किसी की मृत्यु हो जाने, त्याग-पत्र देने या किसी रोग से ग्रसित होकर असमर्थ हो जाने पर उसे अपने स्थान पर अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति को न्यासी मनोनीत/नामित करने का अधिकार होगा। मनोनीत/नामित न्यासी रिक्त पद ग्रहण कर लेगा, यदि किसी न्यासी ने ऐसा नहीं

Smr



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

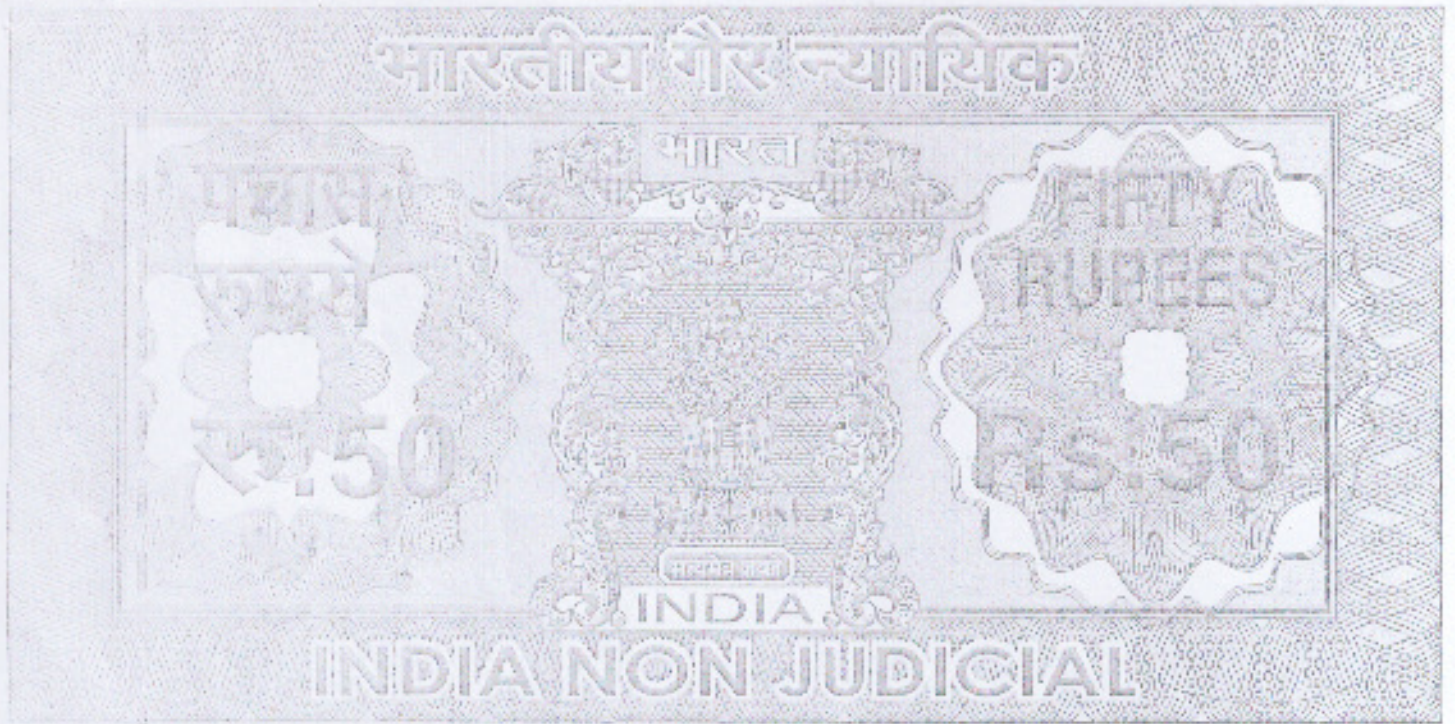
BW 633861

किया है, तो शेष बचे न्यासीगण आपसी सहमत के निर्णय से अपने में से किसी भी न्यासी को उक्त रिक्त पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष डा० विजय प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष द्वारा मृत्यु पूर्व नामित सन्तान ही अध्यक्ष होंगे अन्यथा की स्थिति में समस्त संतानों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी। अध्यक्ष एवं सचिव पद पर संतानों के अलावा किसी भी स्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष एवं सचिव के परिवार के वारिश ही ट्रस्ट में अध्यक्ष, सचिव पद पर रह सकते हैं। कोई वारिश न होने की स्थिति में परिवार का प्रथम कानूनन लीगल वारिश (डायरेक्ट ब्लड रिलेशन) ही ट्रस्ट में पदाधिकारी पद पर नियुक्त हो सकता है।

ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगणों की नियुक्ति :

इस न्यास पत्रक द्वारा नियुक्त सभी न्यासीगण इस न्यास के स्थायी न्यासी होंगे। उन्हें अपने जीवन काल में अपने स्थान पर न्यासी नामित/मनोनीत करने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें अपने संतानों पुत्र/पुत्री को ही अपने स्थान पर ही नामित/मनोनीत कर सकेंगे। पुत्र अथवा पुत्री न होने की दशा में अपने परिवार के ही किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर नामित कर सकेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो किसी न्यासी का स्थान रिक्त होने पर शेष बचे न्यासीगण मृतक न्यासी के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति का सर्वसम्मत व बहुमत से प्रस्ताव पास कर नियुक्त





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633862

भविष्य में कर सकेंगे। यदि उस न्यासी के परिवार में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो शेष न्यासीगण अपने परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को सर्वसम्मत या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर न्यासी नियुक्त करेंगे। सभी न्यासी के लिए आवश्यक होगा कि अध्यक्ष के परिवार के हों तथा और ट्रस्ट के कार्यों, प्रयोजनों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हितकर हो।

ट्रस्ट के विशेष न्यासीगणों की नियुक्ति :

अधिक से अधिक पांच विशेष न्यासीगणों की नियुक्ति का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव को ही होगा। जिनका अधिकतम कार्यकाल एक वर्ष का होगा। ऐसे किसी विशेष ट्रस्टी की पुनर्नियुक्ति का अधिकार भी अध्यक्ष एवं सचिव को ही होगा।

ट्रस्ट के न्यासीगण की सदस्यता समाप्ति :

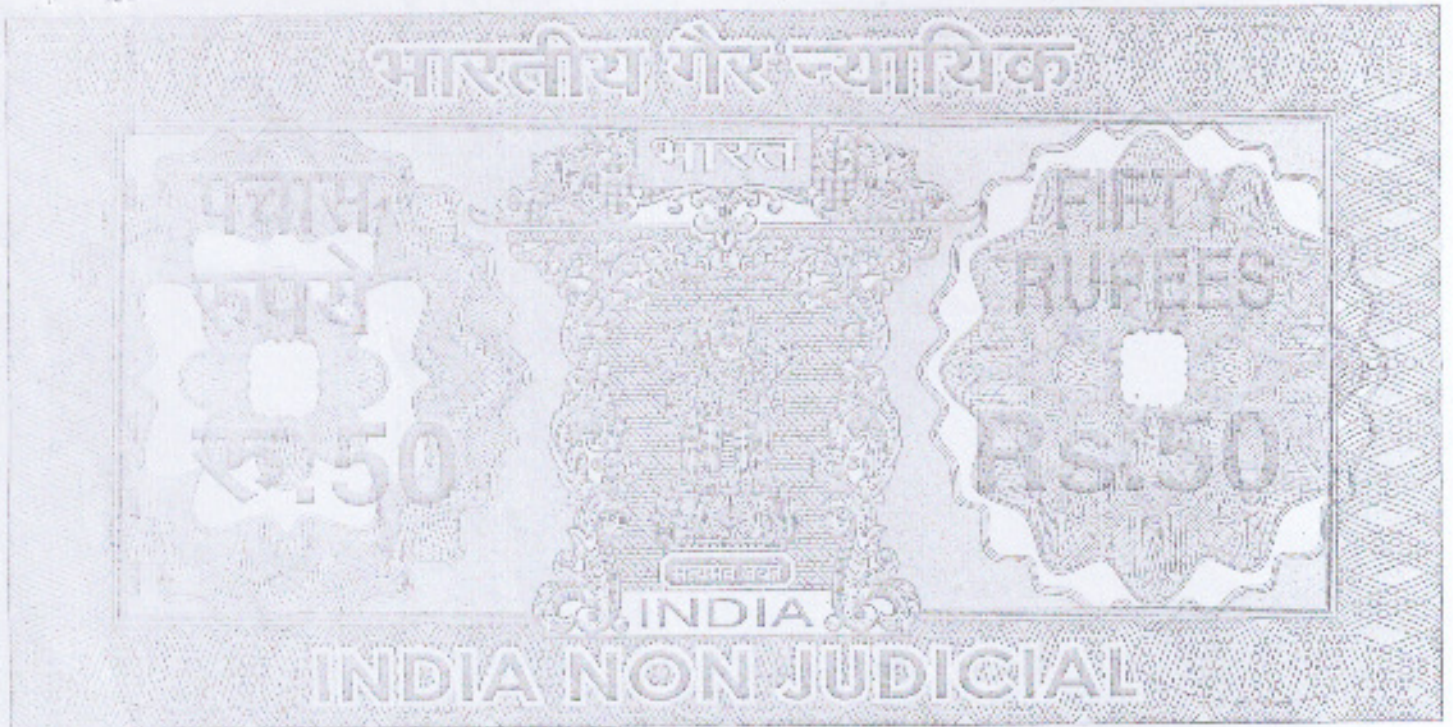
न्यास के न्यासीगण की सदस्यता समाप्त हो जायेगी—उनके त्याग-पत्र देने पर, मृत्यु पर, ट्रस्ट के हित के प्रतिकूल कार्य करने पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित होने पर।

ट्रस्ट की बैठक :

1. ट्रस्ट की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जो ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय पर होगी या इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी होगी, जहां ट्रस्टीगण निश्चय करें। बैठक की लिखित सूचना अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा एक सप्ताह

[Handwritten signature]





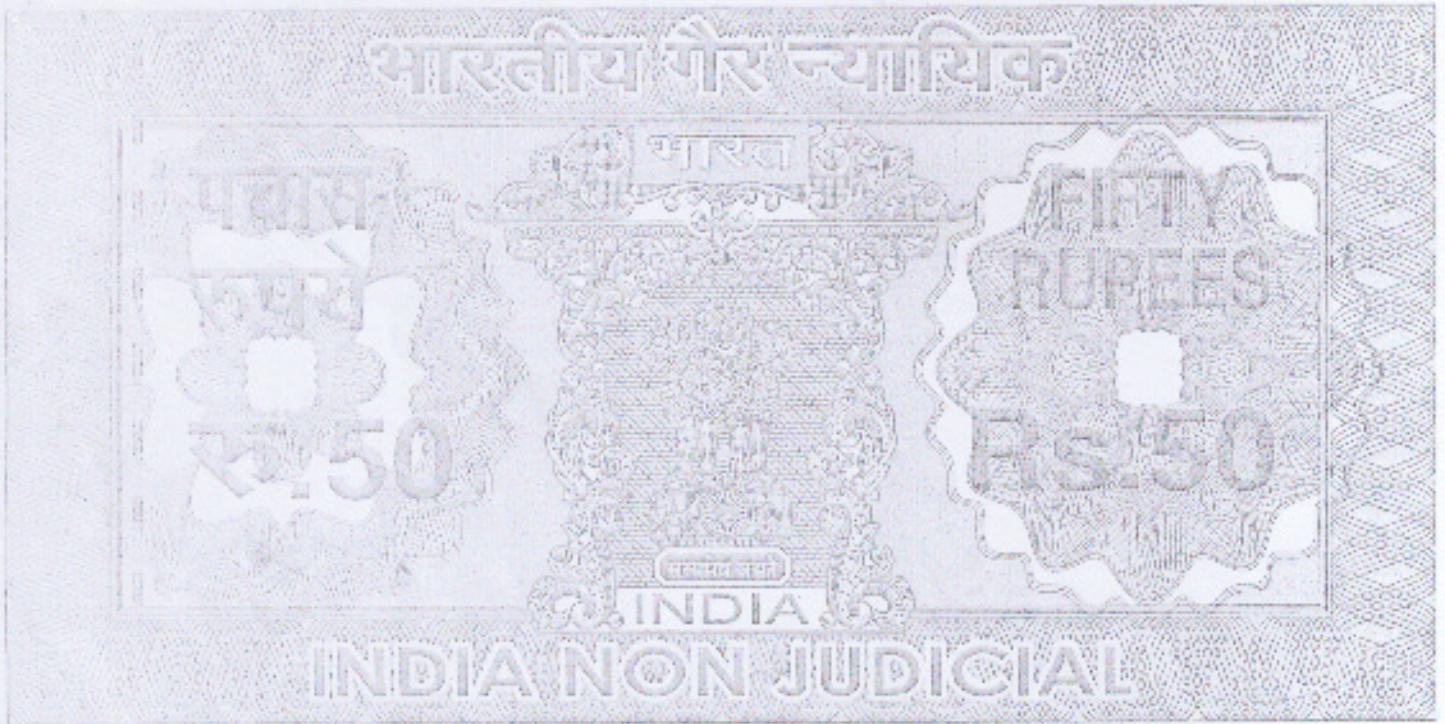
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633863

- पूर्व सभी न्यासीगण को उचित माध्यम जो उपलब्ध व उपयुक्त तथा आधुनिक हो दी जायेगी।
2. बैठक में न्यासीगण की गण पूर्ति की संख्या स्थायी न्यासियों की संख्या का आधे से अधिक होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष को गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित न करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष द्वारा गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित न करने पर बैठक में उपस्थित न्यासीगण निर्णय ले सकेंगे, जो सर्वमान्य होगा। विशेष ट्रस्टियों को गणपूर्ति में शामिल नहीं किया जायेगा।
 3. न्यास की वार्षिक बैठक में वर्ष भर का ट्रस्ट का आय-व्यय का लेखा-जोखा सचिव द्वारा ट्रस्ट का बजट बनाकर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा ट्रस्टियों से पास कराया जायेगा।
 4. न्यास के आय-व्यय व लेखा-जोखा व बजट को देखने का अधिकार सभी न्यासीगण को होगा।
 5. न्यास की बैठक में उपस्थित सभी स्थायी न्यासीगण के सर्वसम्मत या बहुमत से सभी निर्णय किये जायेंगे, जो सर्वमान्य होंगे। मत-विभाजन की स्थिति में प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष को विशेष मत देने का अधिकार होगा तथा वही निर्णायक होगा।
 6. न्यास की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त किसी आकस्मिक बैठक को भी अध्यक्ष की अनुमति से सचिव आहूत करेगा, जिसमें दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख होगा।

By





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633864

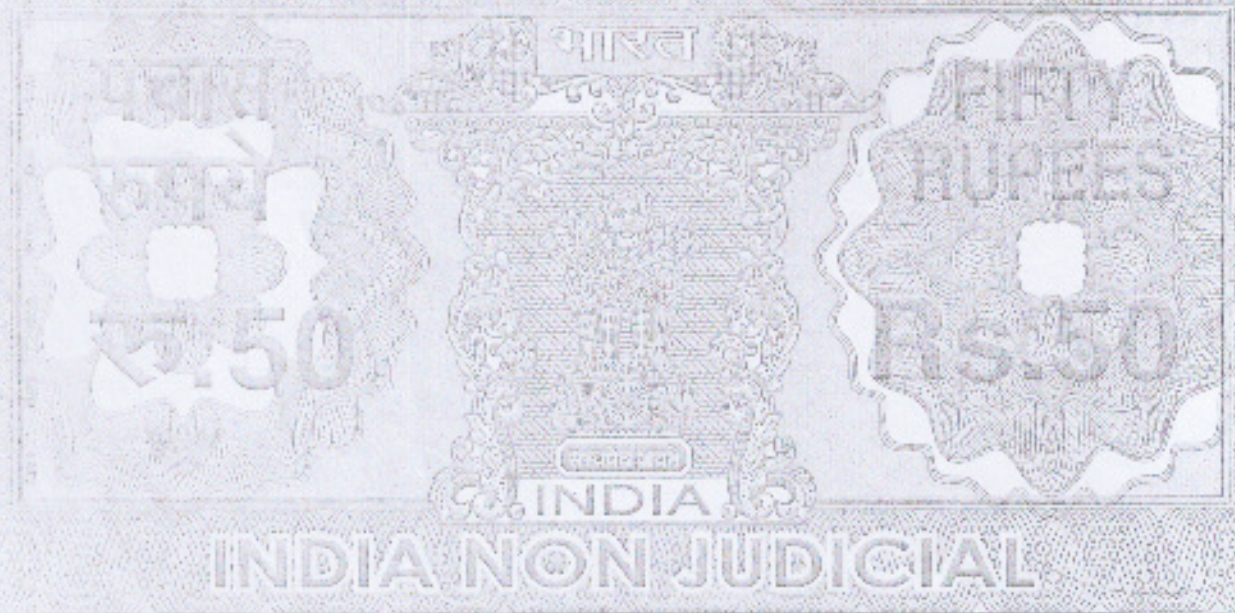
7. न्यास की वार्षिक बैठक में सभी न्यासीगण का आना अनिवार्य होगा। न्यासीगण अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल तीन बार कर सकते हैं, चौथी बैठक में उन्हें स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा। प्रतिनिधि न्यासीगण के परिवार का ही होगा।
8. किसी न्यासी या न्यास के पदाधिकारी की मृत्यु पर या अन्य स्थिति में उनका स्थान रिक्त होने पर न्यास की आकस्मिक बैठक कर नये स्थायी न्यासी व पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
9. इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त न्यासीगण तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त भविष्य में जो स्थायी न्यासीगण व पदाधिकारी नियुक्त होंगे वे अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक उपर्युक्त कारणों से उनकी न्यास की सदस्यता समाप्त न हो जाय।

संस्थापक/अध्यक्ष का अधिकार व कर्तव्य :

संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के सभी कार्यों का पूर्ण नियंत्रण व संचालन का अधिकारी होगा, जिसके आदेशों का पालन करना सभी पदाधिकारियों व न्यासीगण को मान्य होगा। अध्यक्ष न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास की वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को आहूत करेगा। अध्यक्ष को न्यास की बैठकों से मत विभाजन/समान मत की स्थिति में अपना एक विशेष मत देने का अधिकार होगा, जो सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार की

Signature

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633865

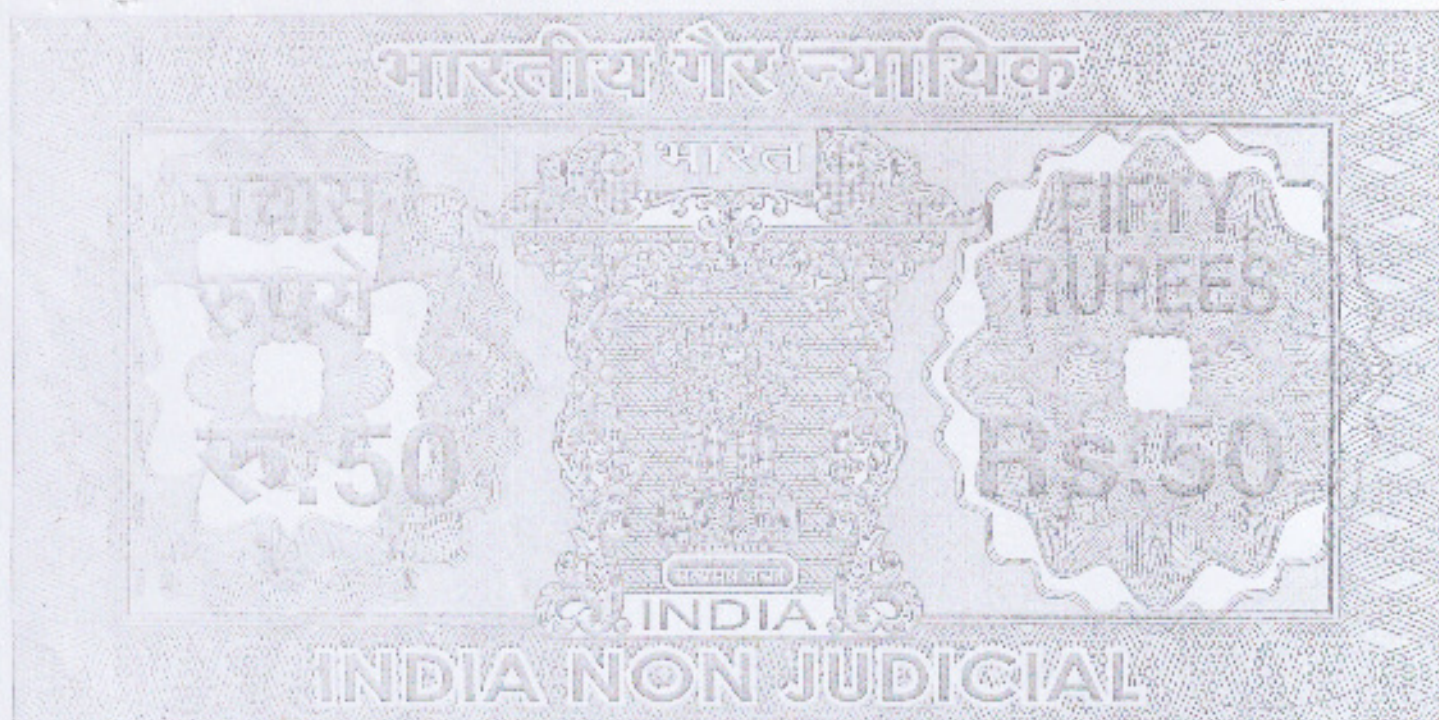
विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा। अध्यक्ष मिनमुकिर संख्या (1) संस्थापक उक्त संस्था का है। जो आजीवन रहेंगे। अध्यक्ष को ट्रस्ट के हित में कोई भी कार्य करने हेतु स्वयं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

सचिव के अधिकार तथा कर्तव्य :

सचिव न्यास द्वारा अपनी बैठकों में लिए गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। न्यास के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उनका रख-रखाव करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं, कार्यों व व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगा तथा अध्यक्ष के अनुसार न्यास की बैठकों को आहूत करेगा। न्यास की बैठकों में लिये गये निर्णयों तथा अध्यक्ष के आदेशों निर्देशों का क्रियान्वयन व परिपालन करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से सचिव को प्रतिनिधि के रूप में पत्र-व्यवहार व सरकारी न्यायालयों के कार्यों को करने का अधिकार होगा और संस्था के हित के लिए वे सभी कार्य जो जरूरी व आवश्यक हो उनको करना।

ट्रस्टियों के अधिकार तथा कर्तव्य :-

1. यह कि ट्रस्ट को सम्पत्ति क्रय करने, विक्रय करने व ट्रस्ट की सम्पत्ति को बंधक रखने एवं गिरवी रखने साथ ही साथ लीज डीड (किराये पर) देने का अधिकार ट्रस्टीगण को होगा।



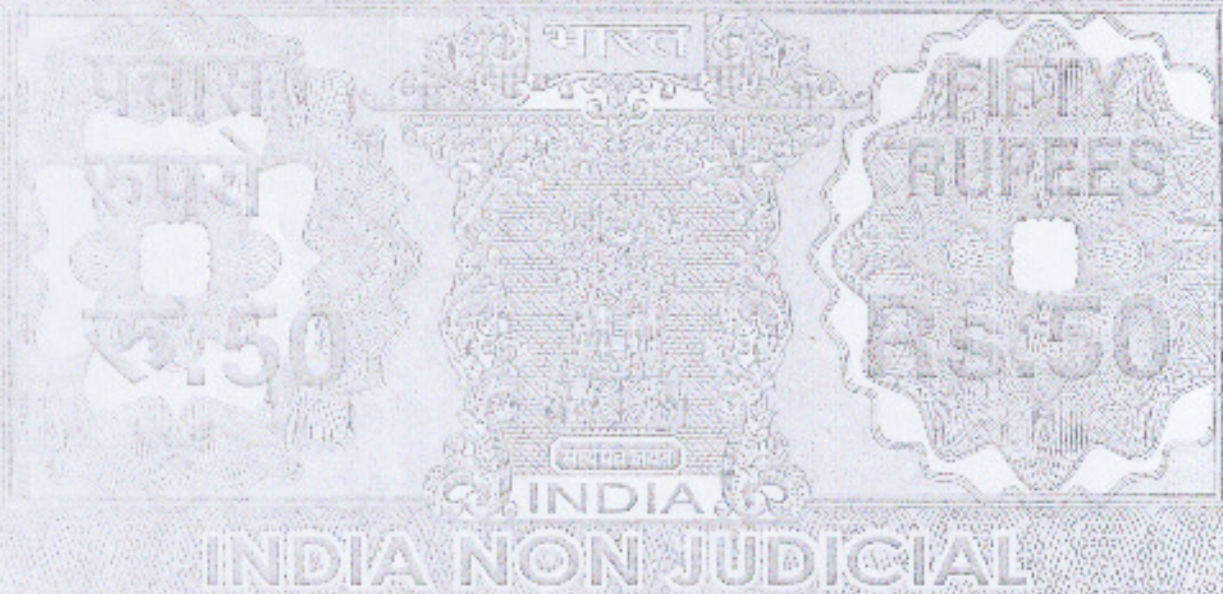
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633866

2. यह कि सभी ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होगा।
3. यह कि ट्रस्ट के गठन के समय ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।
4. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित कोई भी विद्यालय, संस्थान एवं अन्य उपक्रम स्थापित/गठन किया जाता है तो उसके बोर्ड का गठन का अधिकार ट्रस्ट के ट्रस्टियों को होगा और ट्रस्ट द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव को छोड़कर सभी को नानित किया जायेगा। अध्यक्ष और सचिव/प्रबंधक संस्था का वही होगा, जो इस ट्रस्ट का अध्यक्ष, सचिव होगा।
5. यह कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों के जो भी पुरुष सदस्य जन्म लेने के उपरान्त जैसे ही वयस्क होंगे, इस ट्रस्ट में स्वतः ट्रस्टी हो जायेंगे। साथ ही साथ जो भी बहुर्ये शादी होने के उपरान्त आयेगी, वह भी स्वतः इस ट्रस्ट की ट्रस्टी हो जायेगी।
6. यदि भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई भी ट्रस्टियों का पुरुष वारिस नहीं है, तो इन ट्रस्टियों के रक्त सम्बंधी पुत्रियां इस ट्रस्ट की ट्रस्टी होगी एवं इसकी पदाधिकारी होगी।



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633867

कर्मचारी रखने व हटाने का अधिकार :

न्यासीगण को अपने न्यास के विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों व कार्यों के सम्पादन/संचालन के लिए अपने द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों को रखने व कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा।

न्यास का खाता

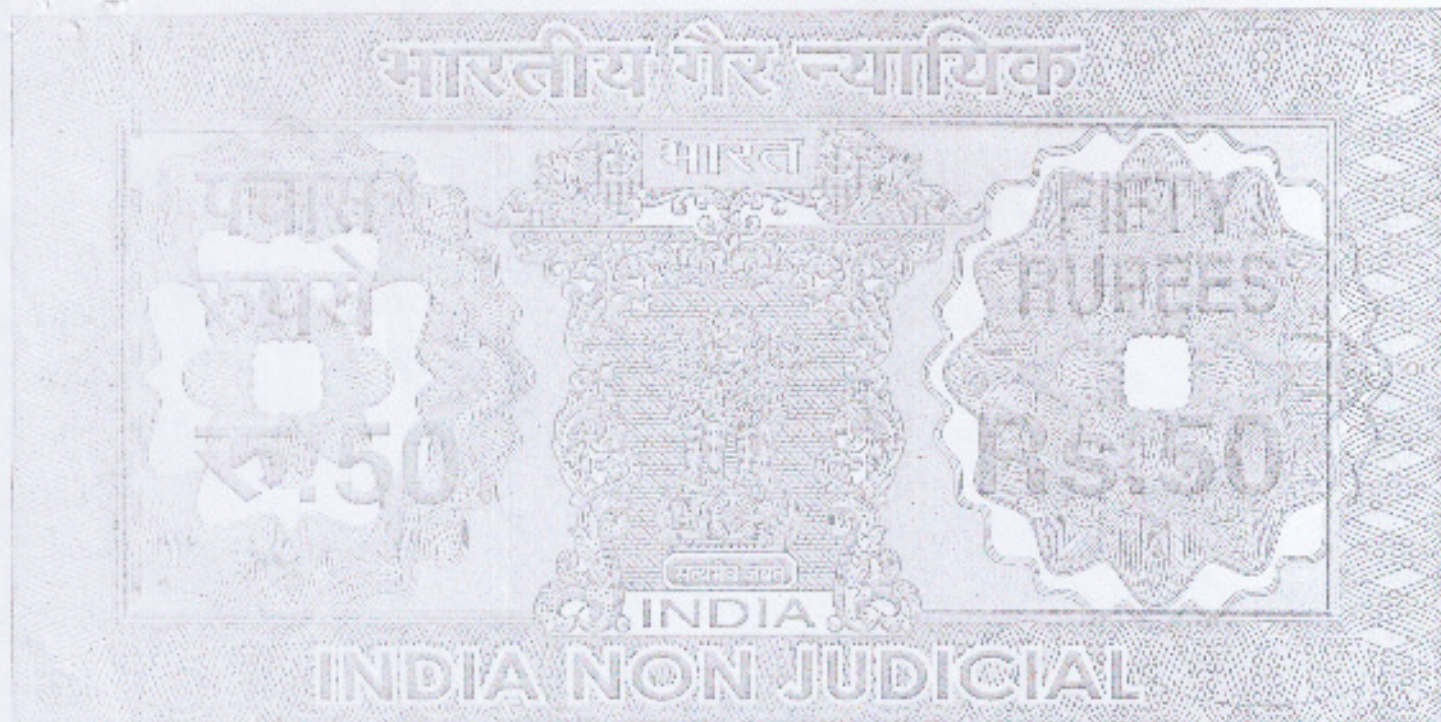
न्यास का खाता किसी भी शङ्खुल्ल बैंक में अध्यक्ष, सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा, जिसका संचालन इन्हीं दोनों के हस्ताक्षर से होगा। किसी दशा में न्यास की किसी भी सम्पत्ति को किसी न्यासी या न्यास के किसी पदाधिकारी को अपने निजी नाम से रखने या कोई धनराशि उक्त लोगों द्वारा अपने स्वयं के नाम से जमा करने का अधिकार नहीं होगा।

न्यास की आय एवं प्राप्तियों का साधन :

उपहार, दान, अनुदान से प्राप्त धनराशि, वैनव, वरीयतनामा या अन्य लेख-पत्र से प्राप्त चल अचल सम्पत्तियां या धनराशि न्यास की अपनी सेवाओं या न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से प्राप्त सम्पत्ति, न्यास के अपने व्यवहार से प्राप्त धनराशि न्यास को अपनी विशेष निधियां रखने का अधिकार होगा। न्यास को प्राप्त सभी धनराशि न्यास की सम्पत्ति होगी। उपरोक्त के अलावा किसी व्यक्ति विशेष, गैर सरकारी फाईनेंस कम्पनी, संस्था, ट्रस्ट, एन0जी0ओ0 या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था या अन्य से आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लिया जा सकेगा।

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633868

न्यास के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर न्यास को अपनी चल अवल सम्पत्ति को विक्रय करने या लीज पर देने का अधिकार होगा। लेकिन यह फैसला सर्वसम्मति से होगा।

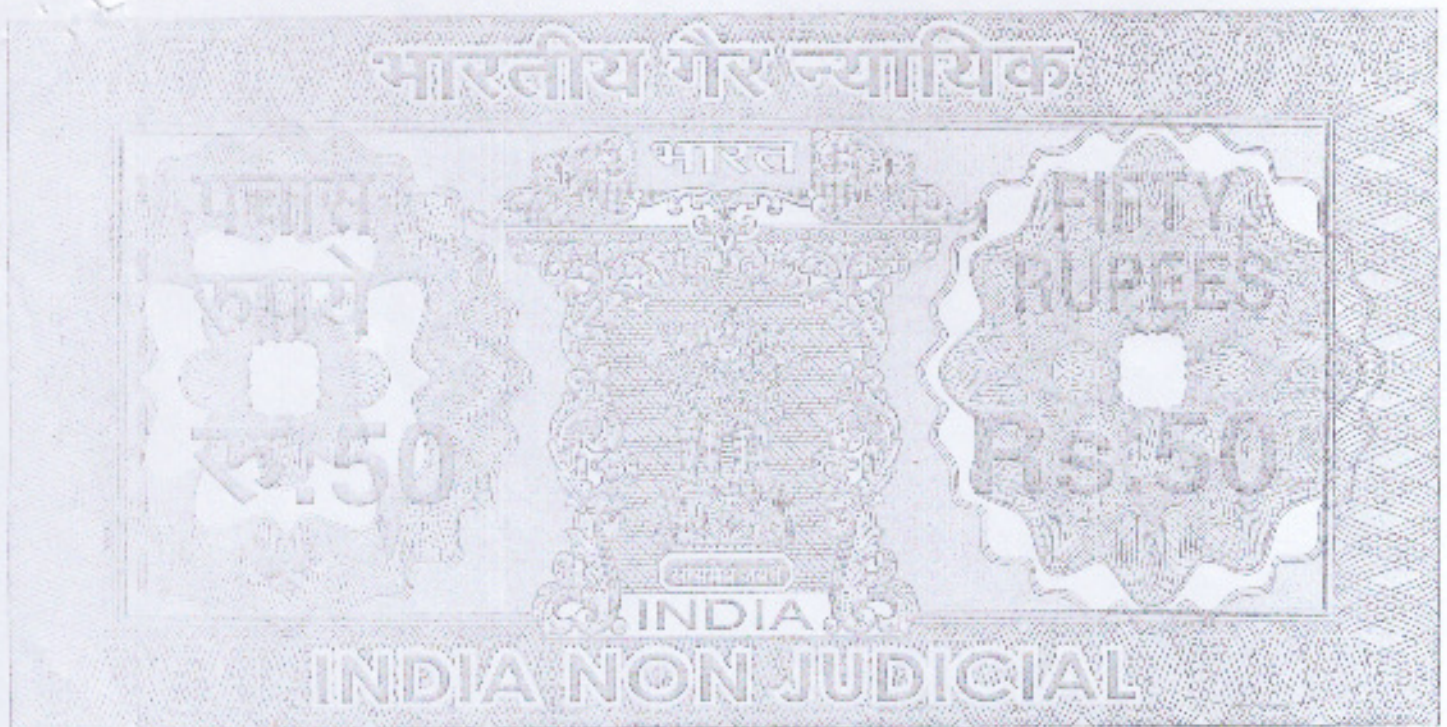
न्यास की नियमावली में संशोधन :

न्यास को नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में उक्त ट्रस्ट में परिवर्तन, परिवर्द्धन करने का अधिकार बहुमत राय से होगा यानि जरूरत पड़ने पर विधिक राय मिलने में संशोधन करने का अधिकार इस कमेटी को होगा। न्यासीगण अपने बहुमत से नियमावली में परिवर्तन व परिवर्द्धन कर सकेंगे, लेकिन न्यास के मूल उद्देश्यों के विपरीत कोई भी संशोधन कभी नहीं किया जायेगा। यानी इस ट्रस्ट की मूल आत्मा के विपरीत कोई कार्य नहीं होगा।

APPLICATION OF INCOME AND TRUST FUND :

The Board of Trustees shall be empowered to invest the funds of the trust in movable or immovable properties, in such manner as they deem fit for the purpose of the objects of the trust provided that such investments shall be in accordance with the provision u/s section 13(1) read with section 11 (5) of the income tax act, 1961 as well as of any other law for the time being in force as applicable to charitable trusts. It is resolved that trustees are authorized to apply registration u/s 12A and 80 G of the income Tax Act 1961 and F E R A regulations for foreign contribution.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633870

न्यास की संरचना निधि :

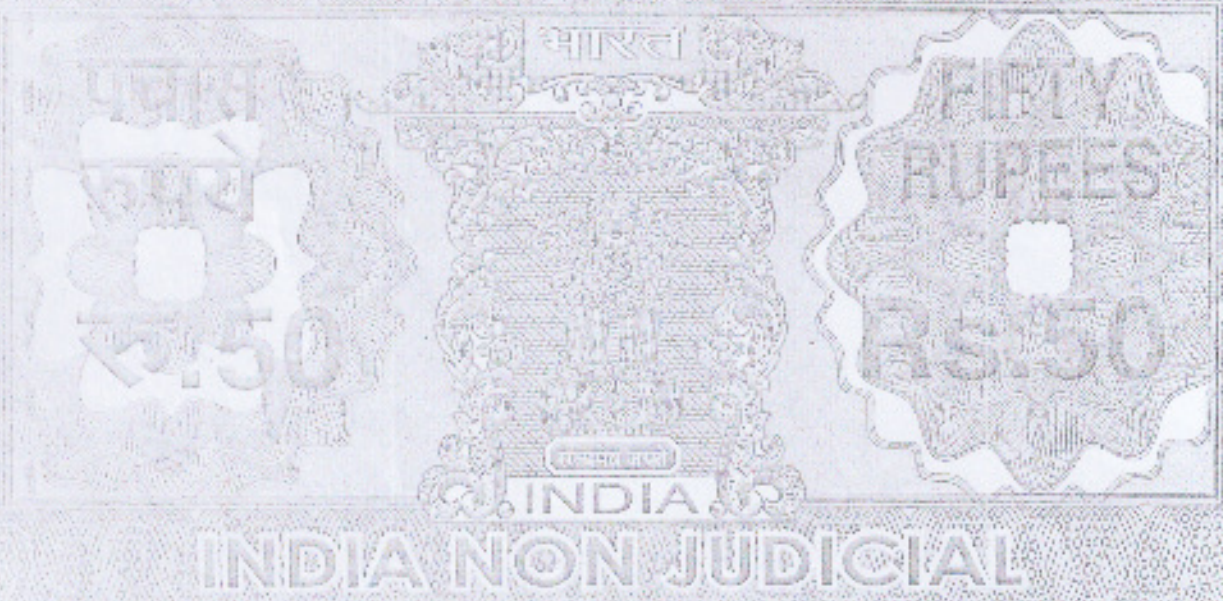
मैं मिनमुकिर संख्या (1) जो कि इस न्यास-पत्रक का संस्थापक अध्यक्ष हूँ तथा इस न्यास का प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष हूँ। मैंने इस न्यास की निधि के सृजन में 5000 रु० सहयोग प्रदान कर दिया है। जो न्यास की स्थायी निधि की संरचना होती है और जिस न्यास निधि पर स्टाम्प देय हेतु रु० 750 मात्र का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा चुका है जो पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में भारतीय न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे।

मैंने इस न्यास-पत्रक में वर्णित उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं/विधियों को भली प्रकार सोच समझकर स्वस्थ चित्त व स्वतंत्र मन व बुद्धि, विवेक से आरोग्यता की स्थिति में रहकर इस न्यास का गठन किया है, जिसका हर प्रकार से परिपालन सुनिश्चित करना ही इस न्यास का प्रमुख कार्य व उद्देश्य होगा, अतः मैं संस्थापक ट्रस्टी डा० विजय प्रताप सिंह द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनांक 11.6.2020 को निष्पादित किया गया कि प्रभाव रहे और भविष्य में काम आवें।



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 633869

मसविदाकर्ता



गवाहान :

पत्ता :- 565 नम गल्फी रोड
रूप नगर सुल्तानपुर
9838993355 हस्ताक्षर

(डा० विजय प्रताप सिंह)
अध्यक्ष

1. शंभू दत्त सिंह 6/0
राजधानी मिश्र

2. विजय प्रताप सिंह

11-6-20

न्यास पत्र तैयारकर्ता- राजेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट निवासी-पूरे गुरुबक्श सिंह,
पोस्ट- दकवा, सुल्तानपुर। मोबाइल नं०- 9415969944

विद्याकान्त मुखर्जी



विद्याकान्त मुखर्जी सुत
श्री कामता प्रसाद मुखर्जी
ग्राम बसो-पथरौली
मजरे फतेपुर
बनस-सुल्तानपुर
मोबा.नं. - 9935108493

आवेदन सं०: 202000915003942

श्री कृष्ण मिश्र
क. शास्त्र विभाग क.
बि. वि. - ०७७७७७
बि. वि. - ३६ (बि. वि. वि. १८-१९)
बि. वि. - ३६ (बि. वि. वि. २०-२०)

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 96 के पृष्ठ 385 से 414 तक क्रमांक 40 पर दिनांक 11/06/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

અગ્રણી ધર્મરાજ સિંહ

उप निबंधक : सदर

सुलतानपुर
11/06/2020

